राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांकः–बीकेजेड / 2522:59 / ले.आ.प्लान / 2025 / रावतसर /	दिनांकः–यथा हस्ताक्षरित

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका,
रावतसर।

विषय :– चक 24 डी.डब्ल्यू.डी. के पं.नं. 158/415 के मु.नं. 16 के किला नं. 10 में 0.152 है., 11 में 0.253 है., 20 में 0.253 है., 21/2 में 0.228 है., 22/5 में 0.226 है. यथाकुल 1.112 है. भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में तकनीकी राय बाबत।
संदर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक राजकाज रैफ. 18052211 दिनांक 29.09.2025 के क्रम में।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदक श्री राजेन्द्र सहारण व अन्य के द्वारा चक 24 डी.डब्ल्यू.डी. के पं.नं. 158/415 के मु.नं. 16 के किला नं. 10 में 0.152 है., 11 में 0.253 है., 20 में 0.253 है., 21/2 में 0.228 है., 22/5 में 0.226 है. यथाकुल 1.112 है. भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में तकनीकी राय बाबत विचाराधीन प्रकरण कार्यालय पत्र दिनांक 23.09.2025 के क्रम में पुनः प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग रावतसर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी विद्यमान सड़क से प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में 16'–6" चौड़ा राजस्व रास्ता स्थित है जिसे टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार 60 फीट चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। पालिका के पत्र दिनांक 11.09.2025 के अनुसार प्रश्नगत भूमि रिक्त है। संलग्न टी.एस.सर्वे प्लान अनुसार प्रश्नगत भूमि के मध्य एलटी लाईन स्थित है जिसे पालिका के पत्र दिनांक 11.09.2025 के अनुसार अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है एवं दक्षिण दिशा में सड़क सीमा में एचटी व एलटी विद्युत लाईन स्थित है, जिनकी क्षमता का अंकन नहीं है। योजना मानचित्र, मास्टर प्लान, गूगल इमेजरी, टोटल स्टेशन सर्वे व अन्य दस्तावेज वरिष्ठ प्रारूपकार नगर पालिका श्रीकरणपुर एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पदमपुर द्वारा प्रमाणित हैं।

प्रकरण में प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 119646.25 वर्गफीट है, जिसमें आवश्यक संशोधन उपरान्त वाणिज्यिक भूखण्डो का क्षेत्रफल 54451.92 वर्गफीट (45.51 प्रतिशत), इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 1200.00 वर्गफीट (01.00 प्रतिशत), कॉमन पार्किंग का क्षेत्रफल 11998.75 वर्गफीट (10.03 प्रतिशत), सुविधा क्षेत्र (पीयू) का क्षेत्रफल 5985.00 वर्गफीट (05.00 प्रतिशत), पार्क का क्षेत्रफल 5985.00 वर्गफीट (05.00 प्रतिशत), तथा सड़को का क्षेत्रफल 40025.58 वर्गफीट (33.46 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तुत संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "जी" के अन्तर्गत कुल भूमि 119646.25 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंषा की जाती है:–

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2024 के अन्तर्गत किया गया हैं। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र /दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी विद्यमान सड़क से प्राप्त हो रहा है। अतः विद्यमान सड़क के मध्य से 50 फीट सड़क मार्गाधिकार में आने वाली आवेदक की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जाना होगा [illegible] की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Matwa
Designation: Senior Town Planner
Date: 2025.10.16 17:03:49 IST
Reason: Approved

सम्पर्क – भूखण्ड सं. 01, गाँधीनगर, लालगढ, बीकानेर – 334001, दूरभाष संख्या 0151–2542102,
ई–मेल आईडी – townplanningbikaner@rediffmail.com	**बेटी बचाओ–बेटी पढाओ**

RajKaj Ref No.: 18401768

Scanned with OKEN Scanner

3. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में 16'–6" चौड़ा राजस्व रास्ता स्थित है जिसे टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार 60 फीट चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। उक्त राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार का निर्धारण टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान संख्या 3.5.2(vii) अनुसार किये जाने के पश्चात उक्त योजना का अनुमोदन किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
4. प्रश्नगत योजना के आस–पास स्वीकृत/अस्वीकृत योजना की सड़को का मिलान की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
5. आवेदक का डेवलपर हेतु पंजीकरण राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 2.3.1 के अनुसार किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
6. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्डों का निष्पादन राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधानो के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जावें।
7. योजना में इंजीनियरिंग एवं इन्फ्रेस्ट्रक्चर मानदण्डों की पालना राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के एनेक्सचर–2 के अनुसार किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
8. योजना में प्रस्तावित वाणिज्यिक भूखण्डों पर राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के अनुसार सेटबेक का निर्धारण किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
9. योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र (पी.यू.) का निस्तारण राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 एवं उक्त के परिपेक्ष्य मे विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों अनुसार किया जावेगा।
10. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
11. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
12. आवेदित स्थल में एलटी लाईन स्थित है जिसे पालिका के पत्र दिनांक 11.09.2025 के अनुसार अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है एवं दक्षिण दिशा में सड़क सीमा में एचटी व एलटी विद्युत लाईन स्थित है, जिनकी क्षमता का अंकन नहीं है। उक्त विद्युत लाईनों को अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा उक्त विधुत लाईन की क्षमता अनुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम–2025 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप, आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
13. राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 3.5.1(XX) अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
14. राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 3.5.1(viii) अनुसार सुविधा क्षेत्र (पी.यू.) में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु स्थल का निर्धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
15. आवेदित योजना क्षेत्र के मध्य यदि कोई सिंचित खाला गुजर रहा हो तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होगे तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित हैं।
16. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नही है, की सुनिश्चिता निकाय द्वारा की जावे।
17. इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में केवल तकनीकी राय प्रेषित की जा रही है। भूमि में मौके पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कायम होने, क्षेत्रफल व माप, न्यायिक वाद, किसी विभाग के स्तर पर जॉच, भू–स्वामित्व की जॉच एवं आवेदित भूमि किसी प्रकार के निषेध क्षेत्र अथवा राजकीय भूमि का भाग नहीं हो की सुनिश्चयतता की जानी अपेक्षित होगी।

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Matwa
Designation: Senior Town Planner
Date: 2025.10.16 17:03:49 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

18. यदि मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी राय अनुसार मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावें।

उक्त राय न्यास से प्राप्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रदान की गई है। गलत तथ्यों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्थिति में यह तकनीकी राय स्वतः निष्प्रभावी मानी जावें।

सलंग्नः– संशोधित योजना मानचित्र की दो प्रतियॉं

भवदीय,

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Matwa
Designation: Senior Town Planner
Date: 2025.10.16 17:03:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18401768

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर
जिला हनुमानगढ़(राज.)

Fax No : 01537-250043 Email: nprawatsar1977@gmail.com Phone No : 01537-250043

क्रमांक :–एफ.14 / सामान्य / न.पा.रा. / 2025 / 2288 दिनांक :–04.12.2025

ले–आउट समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

नगरपालिका रावतसर की ले–आउट प्लान कमेटी की बैठक आज दिनांक 04.12.2025 को सायं 03:00 बजे श्रीमती सोना देवी अध्यक्ष, नगरपालिका रावतसर की अध्यक्षता में नगरपालिका कार्यालय भवन में प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1.	श्रीमती सोना देवी, अध्यक्ष, नगरपालिका रावतसर।	अध्यक्ष
2.	श्री रजनीश चौधरी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रावतसर।	सदस्य सचिव
3.	श्रीमाती हंसा गुर्जर, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका रावतसर	सदस्य
4.	श्री राकेश कुमार कनिष्ट अभियंता, नगरपालिका रावतसर।	सदस्य
5.	श्री दुलीचन्द अठवाल, विधि सलाहकार, नगरपालिका रावतसर।	विशेष आंमत्रित सदस्य

समिति की निर्धारित गणपूर्ति पूर्ण होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(1)प्रस्ताव संख्या 01 ले आउट प्लान अनुमोदन पर विचार:–

(1) (1) औद्योगिक प्रयोजनार्थ (अनाज भण्डारण) ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचार:– श्री रूपराम पुत्र श्री बलकाराम जाति बाजीगर द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी के पं. नं. 157 / 420 के मुं. नं. 47 के किला नं. 1 की 0.2020है0 मे से 0.1717है0, 10 की 0.2020है0 मे से 0.1717है0, 11 की 0.2020है0 मे से 0.1717है0, 20 की 0.2020है0 मे से 0.1717है0, 21 की 0.2020है0 मे से 0.1717है0 कुल तादादी 0.8585है0 यानि 8585 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ(अनाज भण्डारण) का ले–आउट प्लान संमिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णय:– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी औद्योगिक प्रयोजनार्थ (अनाज भण्डारण) के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (2) औद्योगिक प्रयोजनार्थ (कृषि आधारित उपकरण) ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचार:– श्री रामलाल पुत्र श्री भूराराम जाति रेगर साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी के पं. नं. 157 / 420 के मुं. नं. 47 के किल्ला न.– 2 / 1 की 0.1010 हे० किल्ला न.–2 / 4 की 0.0345 हे० में से 0.0046 हे० किल्ला न.–9 / 1 की 0.1010 हे० किल्ला न.–9 / 3 की 0.0345 हे० में से 0.0046 हे० किल्ला न.–12 / 1 की 0.1010 हे० किल्ला न. –12 / 4 की 0.0345 हे० में से 0. 0046 हे० किल्ला न.–19 / 1 की 0.1010 हे० किल्ला न.–19 / 3 की 0.0345 हे० में से 0.0046 हे० किल्ला न.–22 / 1 की 0.1010 हे० किल्ला न.–22 / 4 की 0.0345 हे० में से 0.0046 हे० कुल 0.5288 हे० यानि 5288 वर्ग मीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ(कृषि आधारित उपकरण) का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णय:– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी औद्योगिक प्रयोजनार्थ (कृषि आधारित उपकरण) के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (3) औद्योगिक प्रयोजनार्थ (अनाज भण्डारण) ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचार:– श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री ईसर राम जाति रेगर साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी के पं. नं. 157 / 420 के मुं. नं. 47 के किल्ला न.– 1 / 1 की 0.0510 हे० में से 0.0199 हे० किल्ला न.–2 / 3 की 0.1175 हे० में से 0.0858 हे० किल्ला न.–9 / 2 की 0.1175 हे० में से 0.0858 हे० किल्ला न.–10 / 1 की 0.0510 हे० में से 0.0199 हे० किल्ला न.–11 / 1 की 0.0510 हे० में से 0. 0199 हे० किल्ला न.–12 / 3 की 0.1175 हे० में से 0.0858 हे० किल्ला न.–19 / 2 की 0.1175 हे० में से 0.0858 हे० किल्ला न.–20 / 1 की 0.0510 हे० में से 0.0199 हे० किल्ला न.–21 / 1 की 0.0510 हे० में से 0.0199 हे० किल्ला न.

Scanned with OKEN Scanner

–22/3 की 0.1175 हे० में से 0.0858 हे० कुल 0.5288 हे० यानि 5288 वर्ग मीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ(अनाज भण्डारण) का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी औद्योगिक प्रयोजनार्थ (अनाज भण्डारण) के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (4) औद्योगिक प्रयोजनार्थ (कृषि आधारित उद्योग) ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री हेतराम पुत्र श्री ताजू राम जाति मेघवाल साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी के पं. नं. 157/419 के मुं. नं. 44 के किला नं. 13/4 की 0.1600है0, कुल 0.1600है० यानि 1600वर्ग मीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ(कृषि आधारित उद्योग) का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।
निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी में औद्योगिक प्रयोजनार्थ (कृषि आधारित उद्योग) के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (5) आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति खाती साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 11 ए एम के पं. नं. 166/405 के मुं. नं. 16 के किला नं. 1/2 की 0.1010है0, 1/3 की 0.1010है0 कुल 0.2020है0, यानि 2020 वर्ग मीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।
निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 11 ए एम में आवारीय प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (6) आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्रीमति सुलोचना पत्नि श्री पूर्ण राम देव जाति मेघवाल साकिन ढाणी लालखां नोहर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 08 ए एम के पं. नं. 190/3 के मुं. नं. 51 के किला नं. 12 की 0.2530है0, 13 की 0.2530है0, 18 की 2530है0, 19 की 0.2530है0, 22/2 की 0.2280है0, 23/2 की 0.2280है0 कुल तादादी 1.4680है 14680 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।
निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 08 ए एम में आवासीय प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (7) व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री बिशन सिंह पुत्र श्री शिवदयाल सिंह जाति राजपूत साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी के 158/415(16) किला नं. 4/1 की 0.1259है0, 6/2 की 0.0018है0, 7/4 की 0.0783है0, कुल तादादी 0.206है0 यानि 2060 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार व्यवसायिक प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।
निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (8) वाणिज्यक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री भीमसिंह पुत्र श्री कुशाल सिंह जाति राजपूत साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी के प. न. 158/415(16) किला नं. 7/5 की 0.0605है0, 8/2 की 0.169[illegible] में से हिस्सा 10/13 मे से 0.0492है0 कुल 0.1097है0 यानि 1097 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार वाणिज्यक प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।
निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(1) (9) वाणिज्यक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्रीमती तुलछी देवी पत्नि श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री किस्तुराराम जाति ब्राहम्ण साकिन रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी के प. न. 158/416(12) किला नं. 12/2 की 0.0990है0, मे से 0.0205है0, यानि 205 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार वाणिज्यक प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 21–22 डीडब्ल्यूडी में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (10) वाणिज्यक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री दीपक खदरीया पुत्र श्री सुशील कुमार जाति अग्रवाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी के प. न. 159/414(04)के किला नं. 12/2 की 0.097है0, 19/5 की 0.0070है0, कुल तादादी 0.0167है0, यानि 167 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार वाणिज्यक प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (11) वाणिज्यक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री जवाहर पुत्र श्री मनीराम 1/2 हिस्सा, खयालीराम सिहाग पुत्र सहीराम 1/2 हिस्सा जाति जाट, निवासी बरमसर, तहसील पल्लु, जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी के प. न. 159/414(04)के किला नं. 11 की 0.0334है0, कुल तादादी 0.0334है0, 334 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार वाणिज्यक प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (12) वाणिज्यक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्रीमती कलावती पत्नि मनीराम 2/3 हिस्सा, खयालीराम सिहाग पुत्र सहीराम 1/3 हिस्सा जाति जाट, निवासी बरमसर, तहसील पल्लु, जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी के प. न. 159/414(04)के किला नं. 12/2 की 0.0293है0, 19/5 की 0.0209है0, कुल तादादी 0.0502है0 यानि 502 वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार वाणिज्यक प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (13) औद्योगिक प्रयोजनार्थ (दुग्ध डेयरी) ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री भगवानाराम चौहान पुत्र श्री गनफुल राम चौहान जाति बावरी साकिन 16 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी के पं. नं. 156/416 के मुं. नं. 20 के किला नं. 24 की 0.2530है0, 25 की 0.2530है0 कुल 0.5060है0, यानि 5060वर्गमीटर भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ(दुग्ध डेयरी) का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी में औद्योगिक प्रयोजनार्थ(दुग्ध डेयरी) के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(1) (14) व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– श्री राजेन्द्र सहारण पुत्र श्री हंसराज, श्री रामस्वरूप पुत्र श्री हंसराज, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री काशीराम, श्री संजय कुमार पुत्र श्री मात राम, श्री दीपेश मितल पुत्र श्री नागर मितल साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी के प.न. 158/415(16) के किला नं. 10(0.152)है0, 11(0.253)है0, 20(0.253)है0, 21/2(0.228)है0, 22/5(0.226)है0, कुल तादादी 1.112है0 भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट नगर नियोजक महोदय के आदेश क्रमांक राजकाज रेफ. 18401768 दिनांक 16.10.2025 तकनिकी राय प्राप्त अनुसार व्यवसायिक प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 24 डीडब्ल्यूडी में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(1) (15) आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचारः– दिक्षा एडवान पुत्री श्री मिठ्ठु एडवान साकिन अनूपशहर जिला हनुमानगढ़(राज) द्वारा अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि वाके राजस्व चक 17 डीडब्ल्यूडी के पं. नं. 190/4 के मु. नं. 10 के किला नं. 3 की 0.2530है0, 4 की 0.2530है0, 8 की 2530है0, 13 की 0.2530है0, कुल तादादी 1.012है भूमि की रिपोर्ट श्रीमान वरिष्ट प्रारूपकार द्वारा प्राप्त अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत रखा गया।

निर्णयः– बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजस्व चक 17 डीडब्ल्यूडी में आवासीय प्रयोजनार्थ के ले–आउट प्लान की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

इसके पश्चात् सधन्यवाद बैठक समापन की गई।

सोना
(सोना देवी)
अध्यक्ष
नगरपालिका रावतसर

(रजनीश चौधरी)
अधिशाषी अधिकारी एवं
अध्यक्ष व सदस्य सचिव
ले–आउट प्लान समिति
नगरपालिका रावतसर

क्रमांक :–एफ.14/सामान्य/न.पा.रा./2025/2289–2293 दिनांक :–04.12.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका रावतसर।
2. कनिष्ट अभियंता, नगरपालिका रावतसर।
3. श्रीमाती हंसा गुर्जर, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका रावतसर
4. विधि सलाहकार, नगरपालिका रावतसर।
5. कृषि भूमि शाखा नगरपालिका रावतसर को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही कर पालना करवावें।

सदस्य सचिव
ले–आउट प्लान समिति
एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रावतसर

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती सोना देवी अध्यक्ष, नगरपालिका रावतसर।	अध्यक्ष	सोना
2	श्री दुलीचन्द अठवाल, विधि सलाहकार, नगरपालिका रावतसर।	विशेष आंमत्रित सदस्य	
3	श्रीमाती हंसा गुर्जर, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका रावतसर	सदस्य	
4	श्री राकेश कुमार कनिष्ट अभियंता, नगरपालिका रावतसर।	सदस्य	
5	श्री रजनीश चौधरी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रावतसर।	सदस्य सचिव	

Scanned with OKEN Scanner

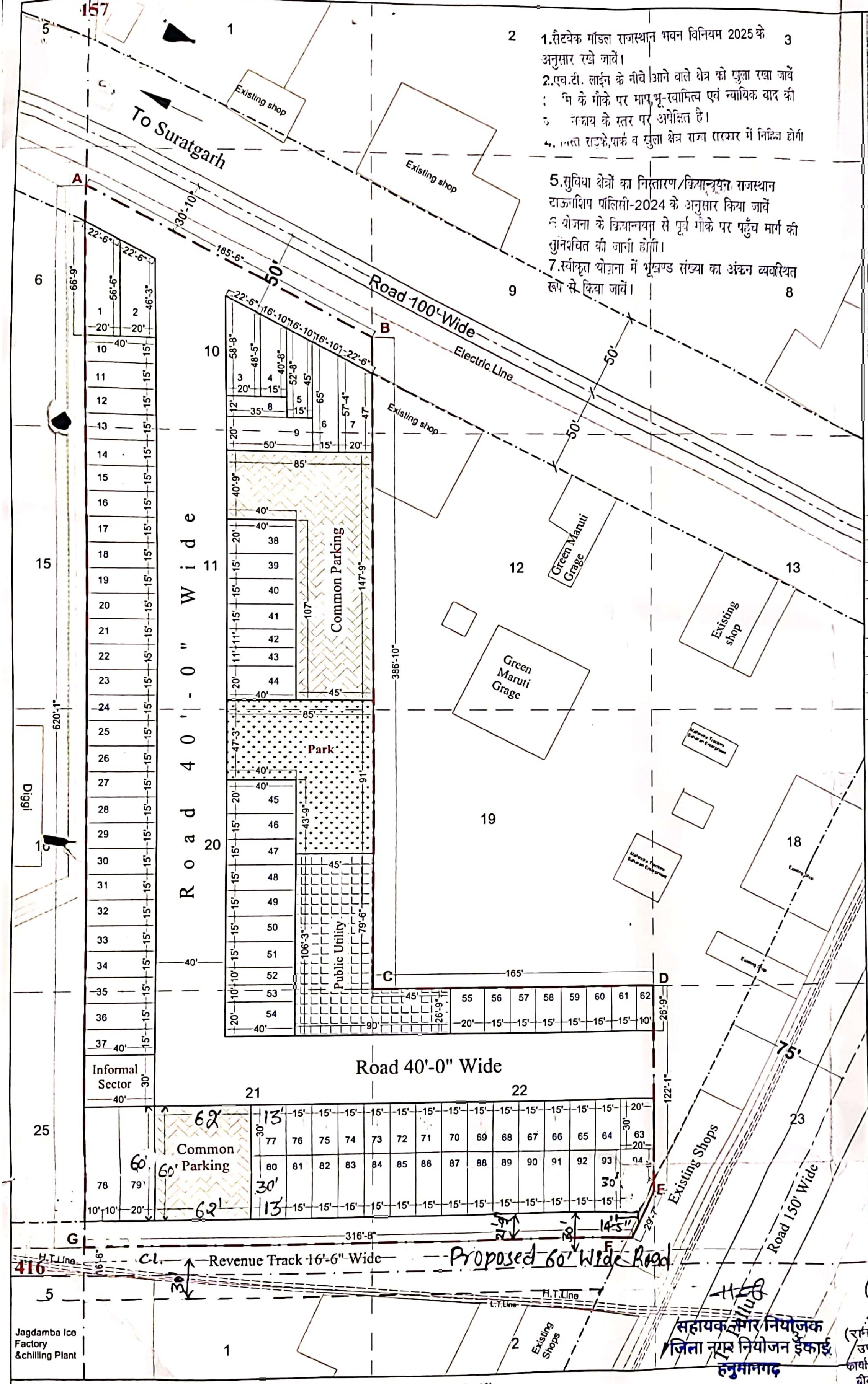

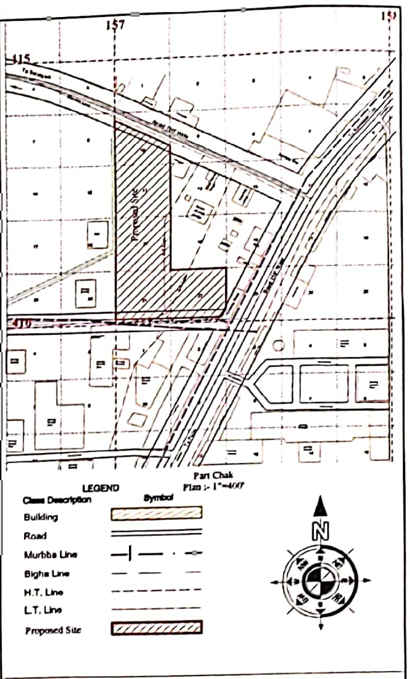

Land Uses Of Scheme :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQFT.)	(%)
1	COMMERCIAL	54451.92	45.51
2	INFORMAL SECTOR	1200.00	01.00
3A	COMMON PARKING	11998.75	10.03
4	Public Utility	5985.00	05.00
5	PARK	5985.00	05.00
6	ROADS	40025.58	33.46
	TOTAL AREA	119646.25	100.00

LAND USE & AREA ANALYSIS CHECKED BY-

LAYOUT PLAN / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 18401768 DATED 16/10/2025

सहायक नगर नियोजक
जिला नगर नियोजन ईकाई
हनुमानगढ

(रामस्वरूप चौधरी)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

Lay-out Plan Scale:- 1"=60'
Of A-3 Paper Size

Ownwer's :-
Mr.Rajender Saharan s/o Mr.Hansraj,(0.1575)
Mr. Ramswaroop s/o Mr.Hansraj,(0.1575)
Mr. Rajender S/o Mr. Kashi Ram,(0.228)
Mr. Sanjay Kumar S/o Mr. Maat Ram,(0.190)
Mr. Dipesh Mittal S/o Mr. Nagar Mittal,(0.379)

Ownwer's Land :-119646.25 Sqft. or 1.112 Hect.

कनिष्ट अभियन्ता
नगरपालिका रावतसर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रावतसर

Lay-Out Plan Of Commercial Scheme "Lotus Plaza Market"

Chak No.24 D.W.D. ,Stone No. 158/415,Murbba No.16,Killa No.10(0.152),11(0.253),20(0.253),
21/2 (0.228),22/5(0.226)Total=1.112 Hect.At Rawatsar ,Distt:- Hanumangarh (Raj.)

Engineers Point
Branch Office:-Shop No. 62-63,
Near Head Post Office
Sriganganagar Road , Hanumangarh Jn.
Mob:-80583-35789, 96676-48560

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर
जिला हनुमानगढ़(राज.)

Fax No : 01537-250043 Email: nprawatsar1977@gmail.com Phone No : 01537-250043

क्रमांक :– एफ.14 / सामान्य / न.पा.रा. / 2026 / 3314 दिनांक :– 20/02/26

विकास प्रमाण–पत्र

खातेदार / विकासकर्ता श्री राजेन्द्र सहारण पुत्र श्री हंसराज, श्री रामस्वरूप पुत्र श्री हंसराज, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री कालीराम, श्री संजय कुमार पुत्र श्री मात राम, श्री दीपेश मित्तल पुत्र श्री नागर मित्तल साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज) की भूमि वाके राजस्व 24 डीडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 158 / 415(16) के किला नं. 10(0.152)है0, 11(0.253)है0, 20(0.253)है0, 21 / 2(0.228)है0, 22 / 5(0.226)है0, कुल तादादी 1.112है0, व्यवसायिक योजना स्वीकृत कर 90क के आदेश दिनांक 12.09.2025 जारी हो चुके हैं। भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की कार्यवाही कृषि भूमि से गैर कृषि (व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि हेतु नगरपालिका स्तर पर ले–आउट समिति बैठक दिनांक 04.12.2025 के प्रस्ताव सं. 01(14) द्वारा स्वीकृत हैं। खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त योजना का नाम "Lotus Plaza Market" रखा गया हैं।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि के सीआईडीसी राशि 2224000 / –रू, बीएसयूपी 278000 / –रू, विक्रय योग्य क्षे0 की 10प्रतिशत राशि 271755 / –रूपये, ले–आउट अनुमोदन शुल्क 111200 / –रू, डी श्रेणी पंजियन शुल्क 100000 / –रू पालिका कोष में जमा करवाई गई हैं।

खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियम समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में 10 प्रतिशत रहनशुदा / अधिग्रहण (भूखण्ड संख्या 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 कुल 13 भूखण्ड) पालिका द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स / खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स / खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तो के साथ प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है :–

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2024 के अन्तर्गत किया गया हैं। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना / आदेश / परिपत्र दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी विद्यमान सड़क से प्राप्त हो रहा है। अतः विद्यमान सड़क के मध्य से 50 फीट सड़क मार्गाधिकार में आने वाली आवेदक की भूमि को निःशुल्क समर्पित करवाया जाना होगा। सड़क मार्गाधिकार एवं अलाईनमेंट की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
3. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में 16''6' चौडा राजस्व रास्ता स्थित है जिसे टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार 60 फीट चौडा प्रस्तावित किया गया है। उक्त राजस्व रास्ते के मार्गाधिकार का निर्धारण टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान संख्या 3.5.2 (अपप) अनुसार किये जाने के पश्चात उक्त योजना का अनुमोदन किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
4. प्रश्नगत योजना के आस–पास स्वीकृत / अस्वीकृत योजना की सड़को का मिलान की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
5. आवेदक का डेवलपर हेत पंजीकरण राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधान के बिन्द संख्या 2.3.1 के अनुसार किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
6. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्डों का निष्पादन राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधानों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जायें।
7. योजना में इंजीनियरिंग एवं इन्फोरट्रक्चर मानदण्डों की पालना राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के एनेक्सचर–2 के अनुसार किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
8. योजना में प्रस्तावित वाणिज्यिक भूखण्डों पर राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के अनुसार सेटबेक का निर्धारण किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
9. योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र (पी.यू.) का निस्तारण राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं / परिपत्रों अनुसार किया जावेगा।
10. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
11. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री

Scanned with OKEN Scanner

की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।

12. आवेदित स्थल में एलटी लाईन स्थित है जिसे पालिका के पत्र दिनांक 11.09.2025 के अनुसार अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है एवं दक्षिण दिशा में सड़क सीमा में एचटी व एलटी विद्युत लाईन स्थित है, जिनकी क्षमता का अंकन नहीं है। उक्त विद्युत लाईनों को अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा उक्त विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2025 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप, आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
13. राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 3.5.1 (XX) अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
14. राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2024 के प्रावधान के बिन्दु संख्या 3.5.1 (viii) अनुसार सुविधा क्षेत्र (पी.यू.) में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु स्थल का निर्धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
15. आवेदित योजना क्षेत्र के मध्य यदि कोई सिंचित त्याला गुजर रहा हो तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुऐ सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होगे तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
16. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव / डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नही है, की सुनिश्चिता निकाय द्वारा की जावे।
17. इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में केवल तकनीकी राय प्रेषित की जा रही है। भूमि में मौके पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कायम होने, क्षेत्रफल व माप, न्यायिक वाद, किसी विभाग के स्तर पर जॉच, भू-स्वामित्व की जाँच एवं आवेदित भूमि किसी प्रकार के निषेध क्षेत्र अथवा राजकीय भूमि का भाग नहीं हो की सुनिश्चतता की जानी अपेक्षित होगी।
18. यदि मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी राय अनुसार मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावें।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रावतसर

(Stamp: अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर)

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य हैं। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना मेरे/हमारे स्वंय के स्तर पर की जावेगी।

सहमति हस्ताक्षर
(खोतदार/कॉलोनाईजर्स)

क्रमांक :-एफ.14/सामान्य/न.पा.रा./2026/3375-3376
दिनांक :- 20/02/26

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ।

1. खातेदार/विकासकर्ता विकासकर्ता श्री राजेन्द्र सहारण पुत्र श्री हंसराज, श्री रामस्वरूप पुत्र श्री हंसराज, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री काशीराम, श्री संजय कुमार पुत्र श्री मात राम, श्री दीपेश मितल पुत्र श्री नागर मितल साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज)।
2. कृषि भूमि शाखा नगरपालिका रावतसर।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रावतसर

(Stamp: अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर)